पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 242/2024

AZAMGARH POLICE

दिनांक- 04.08.2024

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- देवगांव

गोवध में वांछित शातिर गैंगेस्टर अपराधी शाहिद उर्फ करिया पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार; अवैध तमंचा-कारतूस व चोरी की मोटर साइकिल बरामद।

पूर्व की घटना-

दिनांक- 16.07.2024 को रात्रि गश्त के दौरान का0 प्रवीण कुमार दूबे व हो0गा0 चन्द्रेश कुमार द्वारा सूचना दिया गया कि कैथीशंकरपुर ओवरब्रिज व बेशो नदी पुल के मध्य सड़क के किनारे कुछ लोग प्रतिबन्धित पशु का वध करके खाल उतार रहे थे परन्तु पुलिस वालों को देखकर भाग गये, मौके पर 01 स्कार्पियो गाड़ी नं0- यू.पी 50 जे xxxx) भी खडी थी। इस सूचना पर उ0नि0 विनोद कुमार सिंह मय हमराह पहुचे तो देखा गया कि मध्य सडक के पटरी के नीचे 01 प्रतिबन्धित पशु का खाल छिली हुई दशा मे व करीब 1.5 क्विंटल मांस पडा है। इस पर उ0नि0 विनोद कुमार सिंह द्वारा पशु चिकित्सक मांस का नमुना लेने हेतु अवगत कराया गया। वादी मुकदमा उ0नि0 विनोद कुमार सिंह की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 276/2024 धारा 3/5/8 गोवध निवा0 अधि0 बनाम वाहन संख्या UP50Jxxxx के चालक (नाम पता अज्ञात) व अन्य अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त मे विवेचना के दौरान अभियुक्तों 1.संजय सरोज पुत्र श्रीराम सरोज साकिन जयगहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़, 2.खुर्शीद पुत्र मैनुद्दीन निवासी छाऊ थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़, 3.दिलचैन पुत्र मैनुद्दीन निवासी छाऊ थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़, 4. अबुलकैश उर्फ कैश मोहम्मद उर्फ इरशाद पुत्र नन्हे अहमद उर्फ मोछू निवासी मोहम्मदपुर भीटीयां थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़, 5. शाहिद उर्फ करिया पुत्र खिस्सू उर्फ फिरोज निवासी मुहम्मदपुर भीटियां थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया जो आर्थिक भौतिक व दुनियावी लाभ के लिये साथ मिलकर गोवध जैसे अपराध कारित करते है।

➡ पूर्व में अभियुक्त संजय, अबुकैश, को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा अभियुक्त खुर्शीद ने मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। अभियुक्त शाहिद उर्फ करिया व दिलचैन फरार चल रहे थे।

गिरफ्तारी/मुठभेड़ का विवरण-

आज दिनांक 04.08.2024 को प्र0नि0 देवगांव विनय कुमार मिश्र मय हमराह व प्रभारी स्वाट टीम मय टीम को सूचना मिली कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत गोवध के मुकदमें में वांछित अभियुक्त मोटरसाइकिल द्वारा गोसाई की बाजार से देवगाँव की आ रहा है जिसके पास असलहा भी है। इस सूचना पर प्र0नि0 देवगांव द्वारा उ0नि0 सुरेश सिंह मय हमराह व उ0नि0 गौरव सिंह मय हमराह को घेराबन्दी हेतू निर्देशित किया गया। प्र0नि0 देवगांव देवगाँव बाजार से गोसाईगंज की तरफ आगे बढ़े कि रास्ते मे **श्रीकान्तपुर के पास गोसाई की बाजार** की ओर से तेज गति से 01 मोटर साइकिल आती हुई दिखाई दी जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त मोटर साइकिल सवार पुलिस बल को देखकर बरसेरवा की तरफ भागा। प्र0नि0 देवगांव द्वारा पिछा कर उ0नि0 गौरव सिंह मय हमराह को बरसेरवा रोड की तरफ पहुचने हेतु निर्देशित किया गया। मोटरसाइकिल सवार बदमाश ने अपने आपको पुलिस बल से घिरता देखकर राधे मोहन स्कूल के सामाने हडबडाहट में फिसलकर गिर गया तथा भागने लगा। इस पर पुलिस बल द्वारा बदमाश को आत्मसमर्पण करने की पर्याप्त चेतावनी दी गयी। परन्तु उक्त बदमाश पीछे मुड़कर पुलिस वालों को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने लगा। जवाबी पुलिस कार्यवाही करते हुये प्रभारी निरीक्षक देवगांव द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गयी, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर मे गोली लगी है, जिसे **समय सुबह करीब 4:23 बजे पुलिस हिरासत** में लेकर उपचार हेतु टीकरगाढ़ 100 शैय्या अस्पताल लालगंज भेजा गया।

➡घायल बदमाश की पहचान शाहिद उर्फ करिया पुत्र खिस्सू उर्फ फिरोज सा0 मोहम्मदपुर भीटीया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के रूप में की गयी।

➡घायल बदमाश के पास से 01 देशी तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 मोटर साइकिल (चोरी की) व 125/- रूपया बरामद हुआ।

➡ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उक्त बदमाश के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 295/24 धारा 109, 317(2) बी.एन.एस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि अपने साथियों 1-संजय सरोज पुत्र राम स रोज सा0 जयगहा थाना बिलरियागंज आजमगढ़, 2- खुर्शीद पुत्र मैनुद्दीन सा0 छाऊ थाना गम्भीरपुर, आजमगढ, दिलचैन पुत्र मैनुद्दीन थाना छाऊ थाना गम्भीरपर आजमगढ, 3- अबुकैश उर्फ कैफ मोहम्मद उर्फ इरशाद पुत्र नन्हे अहमद उर्फ मोछू सा0 मोहम्मदपुर भीटीया थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ के साथ गैंग बनाकर पशुओं का वध करके मांस बेचकर धन अर्जित करते है। दिनांक 16.07.2024 को कैथीशंकरपुर पुलिया के पास स्कार्पियो गाड़ी से प्रतिबन्धित पशु ले आकर खाल उतार रहे थे कि उसी वक्त पुलिस आ गयी और सब लोग भाग गये थे।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0- 295/24 धारा 109, 317(2) बी.एन.एस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव, आजमगढ़।

घायल/गिरफ्तार बदमाश–

1-शाहिद उर्फ करिया पुत्र खिस्सू उर्फ फिरोज सा0 मोहम्मदपुर भीटीया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

1- देशी तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 खोखा कारतूस .315 बोर,
2- 01 मोटर साइकिल (चोरी की)

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 117/2017 धारा 382 भादवि थाना जहानागंज, आजमगढ़
2.मु0अ0सं0 206/2017 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधि0 थाना देवगांव, आजमगढ़
3.मु0अ0सं0 23/2020 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता एक्ट व 429 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़
4.मु0अ0सं0 74/2020 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट बिलरियागंज आजमगढ़
5.मु0अ0सं0 233/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय , आजमगढ़
6.मु0अ0सं0 276/2024 धारा 3/5/8 गोवध निवा0 अधि0 थाना देवगांव, आजमगढ़
7.मु0अ0स0- 295/24 धारा 109,317(2) बी.एन.एस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव, आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र थाना देवगांव आजमगढ़ ।
2-प्रभारी स्वाट प्रथम नन्द कुमार तिवारी।
3-उप निरीक्षक शिव प्रकाश शुक्ला स्वाट प्रभारी द्वितीय आजमगढ़।
4-उ0नि0 सुरेश सिंह थाना देवगांव आजमगढ़ ।
5-उ0नि0 गौरव कुमार सिंह थाना देवगांव आजमगढ़ ।
6-हे0का0 ओमप्रकाश सिंह थाना देवगांव आजमगढ़ ।
7-हे0का0 संजय कुमार दूबे थाना देवगांव आजमगढ़ ।
8- का0 संदीप यादव थाना देवगांव आजमगढ़ ।
9-का0 ऋषभ शुक्ला थाना देवगांव आजमगढ़ ।
10-का0 शिवम तिवारी थाना देवगांव आजमगढ़ ।
11-का0 अजीत पटेल थाना देवगांव आजमगढ़ ।